भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1221
दिनांक 11 फरवरी, 2025 / 22 माघ, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल में कार्य के घंटे

†1221. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटीलः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल(सीएपीएफ) के कार्मिक प्रतिदिन औसतन कितने घंटे कार्य करते हैं;

(ख) सीमावर्ती स्थानों पर केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों को प्रदान की जा रही चिकित्सा सुविधाओं के प्रकार का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सशस्त्र बलों की तुलना में सीमा रक्षक बलों के कार्मिकों को जटिल क्षेत्र भत्ता कम मिलता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा आधुनिकीकरण योजना IV के अंतर्गत प्रापण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने प्राक्कलन समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, उपकरण और अन्य अवसंरचना की अबाधित आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु आयुध कारखानों और सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र के विनिर्माताओं के साथ बातचित की है; और

(च) यदि हां, तो ऐसी बातचित के संबंध में प्रगति का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क): आम तौर पर, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 8 घंटे की शिफ्ट में काम होता है। हालांकि, यह परिचालन संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर अलग-अलग होता है। बटालियनों की संरचना में आवश्यक अवकाश/प्रशिक्षण रिजर्व बनाया जाता है ताकि कार्मिकों को आराम और छुट्टी मिल सके। पर्याप्त आराम तथा छुट्टी दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी, तर्कसंगत और निष्पक्ष छुट्टी नीति को लागू करने और ड्यूटी के घंटों को विनियमित करने के उपाय किए गए हैं।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1221, दिनांक 11.02.2025

(ख): सीएपीएफ कार्मिकों और उनके आश्रितों को आयुष्मान सीएपीएफ योजना के तहत कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। सैनिकों की व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक समस्याओं को दूर करने के लिए विशेषज्ञों के साथ बातचीत का आयोजन करके बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित की जाती हैं। तनाव से बेहतर तरीके से निपटने के लिए नियमित रूप से ध्यान और योग का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सीएपीएफ और असम राइफल्स के कार्मिकों के लिए "आर्ट ऑफ लिविंग" पाठ्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका जवानों के मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

(ग): कोई तुलना नहीं की गई है। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल एवं सशस्त्र रक्षा बल के कार्मिक की सेवा शर्ते अलग-अलग नियमों से शासित होते हैं।

(घ): आधुनिकीकरण योजना-IV के अंतर्गत खरीद प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा किए गए उपाय अनुलग्नक-क में दिए गए हैं।

(ङ) और (च): उपयुक्त ब्योरा अनुलग्नक-ख में दिया गया है।

******

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1221, दिनांक 11.02.2025

अनुलग्नक-क

आधुनिकीकरण योजना-IV के अंतर्गत खरीद प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा किए गए उपाय

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के लिए आधुनिकीकरण योजना-IV के अंतर्गत खरीद को व्यवस्थित बनाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

i. आधुनिकीकरण योजना-IV के अंतर्गत स्वीकृत वस्तुओं की खरीद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू)/ओपन मार्केट [सरकारी ई-मार्केटप्लेस और केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) के माध्यम से] से जीएफआर 2017, मैनुअल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, 2017 के प्रावधानों और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर खरीद संबंधी जारी निर्देशों जैसे कि आत्मनिर्भर भारत मिशन के अनुरूप समय-समय पर यथा संशोधित मेक इन इंडिया ऑर्डर, 2017 को वरीयता, एमएसएमई आरक्षण आदि के अनुसार उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद की जाती है।

ii. सामान्य हथियारों, उपकरणों आदि की खरीद के लिए लीड फोर्स अवधारणा की यथासंभव अनुकूलता और अंतर-संचालनीयता सुनिश्चित करने, पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का दोहन करने, मात्रा संबंधी छूट प्राप्त करने, सीएपीएफ द्वारा समान वस्तुओं की खरीद के लिए बार-बार किए जाने वाले प्रयासों से बचने आदि को शुरू किया गया है। सामान्य वस्तुओं के लिए नोडल बल सभी सीएपीएफ की ओर से की गई संपूर्ण खरीद प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है।

iii. प्रत्येक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) में गुणात्मक आवश्यकताओं (क्यूआर)/परीक्षण निर्देशों (टीडी) को तैयार करने के लिए समर्पित सेल की स्थापना की गई है, जो उनकी मौजूदा संख्या बल से कम से कम उप-कमांडेंट के पद के उपयुक्त तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा संचालित है।

iv. निविदा प्रक्रिया में लगने वाले लम्बे समय को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) को आधुनिकीकरण योजना-IV के तहत सभी अनुमोदित वस्तुओं के लिए खरीद प्रक्रिया शुरू करने/निविदा जारी करने की अनुमति दी गई है, भले ही उस विशेष समय पर धन की उपलब्धता हो या नहीं,

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1221, दिनांक 11.02.2025

जो इस शर्त के अधीन होगा कि यह निविदा राशि उस वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित निधियों के 2.5 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए और संबंधित सीएपीएफ द्वारा धन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद ही आपूर्ति आदेश दिया जाएगा। यदि किसी अनुमोदित वस्तु के लिए खरीद प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो वह क्रेता और विक्रेता की आपसी सहमति के अधीन, आधुनिकीकरण योजना-IV की पूरी अवधि तक उस क्रेता संगठन के लिए वैध रहेगी। इस प्रावधान से यह सुनिश्चित होगा कि सीएपीएफ इस योजना की कार्यान्वयन अवधि के दौरान अधिकतम संख्या में हथियारों/उपकरणों आदि के लिए खरीद प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

v. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) को रक्षा मंत्रालय (एमओडी)/सहयोगी सीएपीएफ द्वारा खरीदी गई वस्तुओं (सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण/समाधान को छोड़कर जिनके विक्रय मूल्य में कमी आने की प्रवृत्ति/संभावित प्रवृत्ति होती है) के लिए दोबारा ऑर्डर देने की अनुमति है, जिन्हें आधुनिकीकरण योजना-IV के तहत भी मंजूरी दी गई है तथा इसमें आपूर्ति की समान शर्तों और नियमों पर, रक्षा मंत्रालय/सहयोगी सीएपीएफ द्वारा आपूर्ति आदेश देने की तिथि से तीन वर्ष के भीतर पृथक खरीद प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं है, जो इस शर्त के अधीन है कि खरीदी जा रही मात्रा रक्षा मंत्रालय/सहयोगी सीएपीएफ द्वारा मूल रूप से खरीदी गई मात्रा के 1/4वें हिस्से से अधिक नहीं हो।

*****

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1221, दिनांक 11.02.2025

अनुलग्नक-ख

रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पूर्ववर्ती-ओएफबी) से हथियार एवं गोला-बारूद की खरीद के लिए जारी दिशा-निर्देश

i. दिनांक 01.10.2021 से आयुध निर्माणी बोर्ड के 07 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निगमीकरण के बाद, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की तत्काल परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु महत्वपूर्ण वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पूर्ववर्ती-ओएफबी) से हथियार एवं गोला-बारूद की खरीद के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा, इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी निर्माताओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए गैर-महत्वपूर्ण हथियारों एवं गोला-बारूद की खरीद ओपन टेंडर इंक्वायरी के माध्यम से की जाएगी।

ii. ओपन टेंडर इंक्वायरी के माध्यम से हथियारों एवं गोला-बारूद की खरीद के लिए सीएपीएफ के महानिदेशकों की वित्तीय शक्तियों को 20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

iii. हथियारों के घरेलू प्राइवेट निर्माताओं सहित सभी स्टेकहोल्डरों के साथ नियमित बातचीत के परिणामस्वरूप, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए) ने प्राइवेट निर्माताओं को प्रूफ रेंज के आवंटन के लिए रक्षा उद्योग गुणवत्ता आश्वासन प्रबंधन प्रकोष्ठ (डीआईक्यूएएमसी) स्थापित किया है।

iv. सीएपीएफ के प्रतिनिधियों द्वारा हथियारों के विभिन्न प्राइवेट निर्माताओं की साइटों/कारखानों का दौरा किया गया है।

v. 'मेक इन इंडिया' खंड का प्रवर्तन सुनिश्चित किया गया है।

vi. हथियारों की खरीद के लिए ओपन टेंडर इंक्वायरी जारी की जाती है।

vii. परीक्षण के प्रयोजनों हेतु खरीद के लिए महानिदेशकों की शक्तियों का भी उपयोग किया गया है।

viii. हथियारों के प्राइवेट निर्माताओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए, सीएपीएफ द्वारा नो कॉस्ट नो कमिटमेंट (एनसीएनसी) के आधार पर परीक्षण किए गए हैं।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1221, दिनांक 11.02.2025

ix. नोडल सीएपीएफ के महानिदेशकों को गुणात्मक आवश्यकताओं और परीक्षण निर्देशों (क्यूआर/टीडी) को मंजूरी देने की शक्तियां सौंपकर गुणात्मक आवश्यकताओं और परीक्षण निर्देशों (क्यूआर/टीडी) को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

x. गृह मंत्रालय (एमएचए) – रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के बीच सहयोग की परिकल्पना डीआरडीओ की अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) क्षमताओं का लाभप्रद उपयोग करने के लिए की गई है, ताकि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों/प्रणालियों को विकसित किया जा सके, जिसका उपयोग कम तीव्रता वाले संघर्ष (एलआईसी) अभियानों में लगे सीएपीएफ/राज्य पुलिस बलों द्वारा किया जा सके। डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और विकसित उत्पादों/प्रणालियों को सीएपीएफ द्वारा डीआरडीओ के विकास सह उत्पादन भागीदार (डीसीपीपी)/डीआरडीओ के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) धारकों के माध्यम से खरीदा जा रहा है।

*****